भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1195

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

कृषि महाविद्यालयों का उन्नयन

1195. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण :

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में मौजूदा कृषि महाविद्यालयों का पूर्ण विश्वविद्यालयों में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चिन्हित कॉलेजों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मानदंडों का विवरण क्या है जिनके द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई कृषि महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय में उन्नयन हेतु योग्य है अथवा नहीं;

(घ) क्या यह देखते हुए कि मेघालय राज्य की 81 प्रतिशत आबादी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है और राज्य खाद्य सुरक्षा में निचले स्थान पर है, राज्य में कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार मेघालय राज्य में कृषि विकास को समर्थन देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और हस्तक्षेप को बढ़ाने के संभावित लाभों पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग) : 03 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 04 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानद विश्वविद्यालय तथा कृषि संकाय युक्त 04 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा कृषि महाविद्यालयों को स्वतंत्र तौर पर विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चूंकि कृषि शिक्षा सहित कृषि राज्य का विषय है अत: कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के प्रयोजन हेतु राज्य की जरूरतों के अनुसार नए कृषि विश्वविद्यालय खोलना या उन्नयन करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(घ) : मेघालय राज्य में कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) : मेघालय राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा कृषि विकास की सहायता के लिए सरकार ने भाकृअप पूर्वोत्तर पर्वतीय (एनईएच) क्षेत्र अनुसंधान परिसर, उमियम; 07 कृषि विज्ञान केन्द्र तथा 03 महाविद्यालय नामत: (i) कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन महाविद्यालय, बारापानी (ii) कम्यूनिटी विज्ञान महाविद्यालय, तुरा (iii) कृषि महाविद्यालय, कीरदमकुलेई स्थापित किए हैं।

****